IV 4/17

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH ट्रस्ट-विलेख BL 169543

1. मनोज मातनहेलिया पुत्र स्व0 दुर्गा प्रसाद मातनहेलिया प्रथम पक्ष संस्थापक सदस्य
2. पंकज मातनहेलिया पुत्र स्व0 दुर्गा प्रसाद मातनहेलिया द्वितीय पक्ष संस्थापक सदस्य
3. नितिन मातनहेलिया पुत्र स्व0 दुर्गा प्रसाद मातनहेलिया तृतीय पक्ष संस्थापक सदस्य
4. श्रीमती सावित्री देवी पत्नी स्व0 दुर्गा प्रसाद मातनहेलिया चतुर्थ पक्ष संरक्षक सदस्य

Jagran Public School
Principal

JAGRAN PUBLIC SCHOOL
DIRECTOR

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 169552

निवासीगण ग्राम व पोस्ट– कैम्पियरगंज परगना हवेली, तहसील–कैम्पियरगंज, जिला–गोरखपुर के हैं, जिन्हें आगे न्यासीगण से सम्बोधित किया है।

हम उपरोक्त न्यासीगण मनोज मातनहेलिया, पंकज मातनहेलिया, नितिन मातनहेलिया एवं श्रीमती सावित्री मातनहेलिया समस्त समाज के कल्याण हेतु जनहित के कार्यो के लिए जिसमें शिशुओं, बालक बालिकाओं के प्राथमिक शिक्षा से लेकर आगे की शिक्षा तक के लिए अथवा समाज के सभी व्यक्तियों के चिकित्सकीय सुविधाओं व इलाज के लिए अथवा विद्यार्थियों को क्रीणाक्षेत्र में हर प्रकार की सहायता के लिए व उनके व्यक्तित्व के विकास अथवा गरीबों की मदद के लिए एक कल्याणकारी न्यास की स्थापना करने के इच्छुक हैं इसलिए हम सभी न्यासीगण प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष तृतीय पक्ष व चतुर्थ पक्ष उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु एक कल्याणकारी न्यास की स्थापना व गठन अजनाम **दुर्गा पब्लिक**

Jagran Public School
Principal

सावित्री देवी

JAGRAN PUBLIC SCHOOL
DIRECTOR

(3)

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 169551

मेमोरियल ट्रस्ट कर रहे हैं और हम सभी उपरोक्त न्यासीगण ने इस न्यास के गठन हेतु मुवलिग ~~21000/-~~ 11500/- रूपये का न्यासकोष भी स्थापित किया है और हम न्यासीगण क मध्य इस न्यास के उचित व सुचारू रूप से संचालन के लिए कुछ शरायते तय पायी गई है जो निम्न है:–

1. यह कि इस न्याय का संचालन व कार्य अजनाम **दुर्गा पब्लिक मेमोरियल ट्रस्ट** किया जावे तथा इस न्यास का प्रधान कार्यालय ग्राम व पोस्ट–कैम्पियरगंज, परगना–हवेली, तहसील–कैम्पियरगंज, जिला–गोरखपुर पर होगा जहाँ से न्यासीगण इस न्यास के अधीन इसके उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्य करेंगे।
2. यह कि न्यासीगण की सहमति से इस न्यास के अधीन सम्पूर्ण भारतवर्ष में कहीं भी अन्य कार्यालय न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु खोले व स्थापित किए जा सकेंगे।

Jagran Public School
Principal

JAGRAN PUBLIC SCHOOL
DIRECTOR

(5)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 169550

3. यह कि इस न्यास के अधीन न्यासीगण अन्य संस्थाओं व समितियों के गठन व पंजीकरण न्यास की जरूरतों के अनुसार कर सके परन्तु इन सभी का नियंत्रण न्यास के अधीन होगा तथा न्यास के न्यासीगण को इस संस्थाओं व समितियों के विघटन का भी अधिकार होगा तथा इस सम्बन्ध में न्यासीगण का निर्णय अन्तिम होगा।

4. यह कि वर्तमान न्यासीगण प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष, तृतीय पक्ष व चतुर्थ पक्ष इस न्यास के संस्थापक सदस्य आजीवन रहेंगे, परन्तु अगर उपरोक्त वर्णित संस्थापक सदस्य अपनी स्वेच्छा से न्यास के कार्यों से अवकाश प्राप्त करना चाहे तो वह स्वेच्छा न्यास के कार्यो से स्थायी अवकाश ग्रहण कर सकते है तथा अपने स्थान अपने विश्वास पात्र किसी व्यक्ति को न्यासी नामित कर सकते हैं।

Jagran Public School
Principal

JAGRAN PUBLIC SCHOOL
DIRECTOR

(5)

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

भारत INDIA सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 169549

5. यह कि वर्तमान संस्थापक न्यासीगण न्याय की आवश्यकतानुसार अपने अलावा अन्य किसी भी व्यक्ति को इस न्यास का न्यासी आपसी सहमति से बना सकते है और समस्त न्यासीगण को न्यासमण्डल के तौर पर जाना जायेगा।

6. यह कि इस न्यास मण्डल में बिना न्यासीगण की सहमति के कोई भी दूसरा व्यक्ति शामिल नहीं हो सकता है और न ही न्यास के कार्यों में कोई हस्तक्षेप कर सकता है।

7. यह कि न्यास के सुचारू रूप से कार्यों के संचालन के लिए संस्थापक न्यासीगण ने आपसी सहमति से निम्न पद निम्न वर्णित न्यासीगण के लिए सृजित किये हैं।

Jagran Public School
Principal

JAGRAN PUBLIC SCHOOL
DIRECTOR

(6)

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50 भारत INDIA सत्यमेव जयते FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BL 169548

1– अध्यक्ष मनोज मातनहेलिया

2– कोषाध्यक्ष नितिन मातनहेलिया

3– सचिव पंकज मातनहेलिया

8. यह कि संस्थापक न्यासीगण के हस्ताक्षरों से न्यास के नाम जरिये अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष के नाम किसी भी बैंक में बैंक खाते के खोलने हेतु जैसा न्यास मण्डल निर्णय करे औपचारिक कारवाई की जायेगी और इस खाते में न्यास का धन जमा किया जायेगा तथा न्यास के उद्देश्यों के पूर्ति हेतु इस बैंक खाते का संचालन संस्थापक न्यासीगण करने के अधिकारी होंगे।

9. यह कि न्यास का न्यासमण्डल इस न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निम्न कार्य या अन्य कार्य न्यास के न्यासमण्डल की सहमति से करेगा।

क) समाज के सभी वर्ग के बालक–बालिकाओं के शैक्षिक, शारीरिक, मानसिक आध्यात्मिक, चारित्रिक एवं बौद्धिक विकास के लिए प्राथमिक स्तर से लेकर

Jagran Public School
Principal

JAGRAN PUBLIC SCHOOL
DIRECTOR

(7)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 169547

जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल, इण्टर, डिग्री व पोस्ट ग्रेजुएट स्तर एवं विज्ञान कला, मैनेजमेन्ट, कामर्स, मेडिकल व इंजिनियरिंग, टेक्निकल, प्रोफेशनल कोर्सेज या कानूनी की शिक्षा हेतु विद्यालयों एवं संस्थानों की स्थापना व आवश्यकतानुसार इन कार्यों की पूर्ति के लिए किसी समिति का गठन करना।

ख) बालक–बालिकाओं तथा नवयुवकों व नवयुवतियों अथवा व्यक्तियों हेतु कम्प्यूटर शिक्षा से सम्बन्धित साफ्टवेयर व हार्डवेयर की शिक्षा व प्रशिक्षण देने हेतु व्यवस्था करना।

ग) न्यास द्वारा स्थापित सभी शिक्षण संस्थानो में शिक्षण लेने वाले विद्यार्थियों के लिए आवास व छात्रावास की व्यवस्था व संचालन तथा इसके लिए आवासों व छात्रावासों के निर्माण की व्यवस्था करना।

घ) न्यास के अधीन स्थापित शिक्षण संस्थाओं के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु

Jagran Public School
Principal

JAGRAN PUBLIC SCHOOL
DIRECTOR

(8)

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 169546

पुस्तकालय भवन तथा उसमें आवश्यक आलमारी फर्नीचर व पुस्तकों की व्यवस्था करना।

ड.) न्यास के अधीन स्थापित शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत सभी वर्गों के विद्यार्थियों के शारीरिक विकास के लिए नियमित रूप से खेलों का आयोजन व प्रेक्टिस व वार्षिक प्रतियोगिताओं का आयोजन तथा उसकी व्यवस्था तथा सभी विद्यार्थियों के मानसिक विकास के लिए विभिन्न क्षेत्रों में बौद्धिक प्रतियोगिताओं का आयोजन व उसकी व्यवस्था करना।

च) ऐसे खेलों व बौद्धिक प्रतियोगिताए वार्षिक तौर पर आयोजित कराना जिसमें न्यास के अलावा अन्य शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थी भी सम्मिलित हो और उनकी व्यवस्था करना।

छ) गॉवों में किसानों के लिए पेयजल, नाली, सड़क व शौचालयों की व्यवस्था कराना।

Jagran Public School
Principal

JAGRAN PUBLIC SCHOOL
DIRECTOR

(9)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 169545

ज) न्यास के शिक्षण संस्थाओं में विज्ञान प्रदर्शिनी अथवा उसके अन्य विषयों स सम्बन्धित प्रदर्शनी का आयोजन व उसकी व्यवस्था करना।

झ) न्यास के अधीन संचालित शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों को समस्त वैज्ञानिक व दुनिया की अन्य अद्यतन जानकारिया व ज्ञान उपलब्ध कराने की व्यवस्था करना।

ञ) सभी विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए सभी विषयों पर व सांस्कृतिक शैक्षणिक व आध्यात्मिक विषयों पर विचार गोष्ठी व वाद विवाद प्रतियागिताओं का आयोजन कराना। न्यास के अधीन शिक्षण संस्थानों में कार्यरत प्रधानाचार्य व शिक्षकों व कर्मचारियों की नियुक्ति व यदि सम्भव हो तो उसकी आवासीय व्यवस्था का इंतजाम करना।

ट) न्यास के अधीन संस्थाओं व समितियों के संचालन हेतु नियम व उपनियम बनाना।

Jagran Public School
Principal

JAGRAN PUBLIC SCHOOL
DIRECTOR

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BL 169544

ठ) न्यास के अधीन संचलित सभी शिक्षण संस्थाओं के लिए धन की व्यवस्था करना।

ड़) गरीब विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई निःशुल्क व्यवस्था करना।

ढ) न्यास के अधीन संचलित शिक्षण संस्थानों, समितियों में अध्यापकों व कर्मचारियों के नियुक्ति हेतु नियमावली तैयार करना।

ण) न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कोई भी आवश्यक कार्य करना।

10. यह कि संस्था न्यासीगण में से किसी भी व्यक्ति के संसार में न रहने पर उसके स्थान पर उसके परिवार के किसी योग्य व्यक्ति को अन्य न्यासीगण की सहमति से न्यासी नियुक्त किया जावेगा और इस प्रकार नवनियुक्त न्यासी अन्य न्यासीगण के साथ न्यास के हित में कार्य करेगा।

11. यह कि न्यासमण्डल का कोई भी सदस्य न्यास के हितों व उद्देश्यों के

Jagran Public School
Principal

JAGRAN PUBLIC SCHOOL
DIRECTOR

(11)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 169553

विपरित कोई कार्य नहीं करेगा और अगर कोई न्यासी न्यास के हितों एवं उद्देश्यों के विरूद्ध कार्य करेगा तो न्यासमण्डल का सदस्य के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही न्यास के हित में करेगा।

12. यह कि न्यासमण्डल की सहमति से न्यास मण्डल के पदाधिकारियों के पद व कार्यो का परिवर्तन आवश्यकतानुसार किया जा सकता है और इसकी सूचना न्यासी से सम्बन्धित बैंक अथवा आवश्यकता होने पर जहा कही भी आवश्यक हो दी जावेगी।

13. यह कि न्यास के उद्देश्यों एवं कार्यो के पूर्ति हेतु न्यास किसी भी व्यक्ति संस्था अथवा सरकार के जरिए दान अनुदान व चन्दा प्राप्त कर सकता है और इसकी रसीद निर्गत कर सकता है, इस सम्बन्ध में सभी न्यासीगण को संयुक्त रूप से अथवा अलग–अलग न्यास के उद्देश्यों पूर्ति हेतु दान

Jagran Public School
Principal

JAGRAN PUBLIC SCHOOL
DIRECTOR

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 169554

अनुदान व चन्दा न्यास के लिए प्राप्त करने का अधिकार होगा परन्तु जो भी रकम न्यास के लिए प्राप्त की जायेगी उसकी सूचना न्यास को देकर इस रकम को प्राप्त करने के उपरान्त शीघ्रता शीघ्र बैंक खाते में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

14. यह कि न्यास के न्यासीगण एक ऐसी व्यवस्था करेंगे जहाँ न्यास से सम्बन्धित शिक्षण संस्थानों व स्वयं न्यास के आय–व्यय का विवरण रखा जावे और इस सम्बन्ध में आवश्यक अभिलेख दिन–प्रतिदिन तैयार होता रहे जिसके निरीक्षण का अधिकार प्रत्येक न्यासी को हर समय रहेगा।

15. यह कि न्यास के न्यासमण्डल की मीटिंग हर तीन माह न्यास के कार्यो व उद्देश्यों की देखभाल के लिए आयोजित की जावेगी जिसमें 2/3 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा इस मीटिंग की कार्यवाही के

Jagran Public School Principal

JAGRAN PUBLIC SCHOOL DIRECTOR

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 169555

लिए एक सूचना रजिस्टर व कार्यवाही रजिस्टर भी रखा जावेगा और इन रजिस्टरों में नियमित रूप से सूचनाएं देना व लेना दर्ज की जावेगी तथा कार्यवाही रजिस्टर में न्यासमण्डल द्वारा की गई कार्यवाहियों व निर्णयों का विवरण दर्ज किया जावेगा। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान समय में इन रजिस्टरों में सूचना व कार्यवाही की जिम्मेदारी सचिव पक्ष को दी गई है जिसे बाद में न्यासीगण के सहमति से परिवर्तित भी किया जा सकता है।

16. न्यास के अभिलेख–यह कि न्यास से सम्बन्धित सभी शिक्षण संस्थानों, समितियों के उचित संचालन व रख–रखाव के सम्बन्ध में भी अभिलेख तैयार किए जावेंगे व न्यास की समस्त अचल सम्पत्तियों की अभिलेखों से सम्बन्धित भी एक सम्पत्ति रजिस्टर भी तैयार किया जावेगा तथा ये सभी

Jagran Public School
Principal

JAGRAN PUBLIC SCHOOL
DIRECTOR

(14)

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 169556

अभिलेख न्यास के प्रधान कार्यालय पर रखे जावेंगे जिसका अवलोकन न्यासीगण किसी भी समय कर सकते हैं तथा इन अभिलेखों के देख–रेख की जिम्मेदारी सचिव की होगी।

17. यह कि न्यास के सभी अभिलेखों को न्यासीगण कम्प्यूटर के माध्यम से भी सुरक्षित रख सकते है।

18. यह कि न्यासमण्डल की एक वार्षिक बैठक भी न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आयोजित की जावेगी जिसमें न्यास मण्डल के सभी सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी तथा इस बैठक की पूर्व सूचना सभी न्यासीगण को 15 दिन पूर्व दी जावेगी तथा इस वार्षिक बैठक में पूरे वर्ष के न्यास के सभी कार्यो का विवरण न्यास के अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत किया जावेगा तथा न्यास के आय–व्यय

Jagran Public School
Principal

JAGRAN PUBLIC SCHOOL
DIRECTOR

(15)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BL 169557

का वार्षिक विवरण न्यास के कोषाध्यक्ष या सचिव द्वारा प्रस्तुत किया जावेगा और इस वार्षिक मीटिंग में अगले वर्ष की न्यास के कार्यो का अनुमानित बजट पेश किया जावेगा और इस सम्बन्ध में सभी निर्णय बहुमत से पारित किया जावेगा तथा इन सभी क्रियाकलापों को न्यास के कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा।

19. यह कि न्यास स्वयं अथवा न्यासमण्डल द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति अथवा संस्था समिति के नाम से उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किसी भी प्रकार चल व अचल सम्पत्ति का क्रय–विक्रय न्यास की तरफ से कर सकता है तथा न्यास की सम्पत्तियों को किराये पर दे सकता है अथवा न्यास के लिए किसी भी चल–अचल सम्पत्ति को किराए पर ले सकता है।

20. यह कि न्यास के न्यासीगण न्यास की आवश्यकताओं के अनुरूप न्यास की शरायतों में संशोधन व परिवर्तन कर सकते हैं।

Jagran Public School
Principal

JAGRAN PUBLIC SCHOOL
DIRECTOR

(16)

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

11AD 771402

21. यह कि न्यास को अपने उद्देश्यों की पूर्ति बैंक ऋण को लेने का अधिकार न्यास मण्डल के माध्यम से है तथा इस सम्बन्ध में न्यास को न्यास मण्डल के सदस्य न्यासीगण के माध्यम से न्यास की सम्पत्तियों को बन्धक बैंक के पक्ष में रखकर ऋण लेने का अधिकार होगा तथा इस सम्बन्ध में न्यासीगण न्यास की तरफ से आवश्यक कागजात व प्रार्थना–पत्र अथवा शपथ–पत्र आदि है, अपने हस्ताक्षरों से प्रस्तुत कर सकते हैं।

22. यह कि न्यास के सम्पूर्ण आय–व्यय के लेखा हेतु न्यास मण्डल लेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है।

23. यह कि न्यास एक विधिक व्यक्ति है और उसे विधि के अनुसार बतौर न्यास सभी अधिकार प्राप्त है।

Jagran Public School
Principal

JAGRAN PUBLIC SCHOOL
DIRECTOR

(17)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

11AD 771403

24. यह कि न्यास एवं उसके अधीन संस्थाओं व समितियों को कर्मचारियों की नियुक्ति तथा उनकी सेवा शर्तो एवं सेवा सुविधाओं के निर्धारण के सम्बन्ध में न्यासमण्डल का निर्णय अन्तिम होगा और इस सम्बन्ध में किसी भी तरह का विवाद होने पर उसका निर्णय न्यास मण्डल द्वारा आरबींट्रेटर के द्वारा किया जावेगा तथा किसी भी कर्मचारी को किसी भी विवाद को न्यायालय में ले जाने का अधिकार नहीं होगा।

Jagran Public School
Principal

JAGRAN PUBLIC SCHOOL
DIRECTOR

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10 | TEN RUPEES Rs.10

भारत · सत्यमेव जयते · INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH — 11AD 771404

25. यह कि वर्तमान में इस न्यास में कोई अन्य सम्पत्ति नहीं है।

26. यह कि न्यासीगण के बीच किसी भी प्रकार का विवाद व मतभेद होने पर इसका निर्णय न्यासीगण के मध्य बहुमत से किया जावेगा और इस सम्बन्ध में बहुमत का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

अतः हम न्यासीगण अपने स्वस्थ्य मन व चित से अपनी खुशी व रजामन्दी से बिना किसी जब्र व दबाव के इस न्यास पत्र को पढ़ व समझकर इस पर अपने–अपने हस्ताक्षर साक्षियों के समक्ष कर दिया कि वक्त पर काम आवे।

Jagran Public School
Principal

JAGRAN PUBLIC SCHOOL
DIRECTOR

(19)

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

11AD 771405

ह0 साक्षीगण:—

1:— रामनैना S/o रामप्रसाद
नि० -चौमुहा

ह0 न्यासी नं0—1

(मनोज मातनहेलिया)

2:— [illegible]
[illegible]
[illegible]

ह0 न्यासी नं0—2

(पंकज मातनहेलिया)

3:—

ह0 न्यासी नं0—3

(नितिन मातनहेलिया)

4:—

ह0 न्यासी नं0—4
सावित्री देवी

(श्रीमती सावित्री देवी)

Jagran Public School
Principal

JAGRAN PUBLIC SCHOOL
DIRECTOR

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु.10

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 11AD 771406

नोट :- पृष्ठ संख्या 3 के सतर 2 में "21000/-" कटा है तथा प्रतिहस्ताक्षर उपर "11000/- सही तहरीर है प्रमाणित.

मजमूनकर्ता

Virendra Mani Tripathi

(वीरेन्द्र मणि त्रिपाठी Advocate

14-3-17

एडवोकेट)

दीवानी कचहरी, गोरखपुर

दिनांक: 14-3-17

Jagran Public School

Principal

JAGRAN PUBLIC SCHOOL

DIRECTOR

आज दिनांक **14/03/2017** को

बही सं. **4** जिल्द सं. **8**

पृष्ठ सं. **43** से **94** पर कमांक 4

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

सुशील कुमार

उप निबन्धक कैम्पियरगंज

कैम्पियरगंज

14/3/2017

Jagran Public School

Principal

JAGRAN PUBLIC SCHOOL

DIRECTOR